73 समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क /2018

निगरानी- 3782/2018/अशोकनगर/भू.रा

फुल्ला पुत्र श्री कंगलिया निवासी ग्राम प्यासी तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

रामसेवक पुत्र श्री श्यामलाल सोनी निवासी ग्राम प्यासी तहसील मुगांवली जिला अशोकनर म.प्र.

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि० 22-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-6-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 22.6.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 अधिनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार परगना मुगांवली जिला अशोकनगर के प्रकरण क 05/अ–12 /17–18 मे पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार हैं :–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम करैरा हाट के ग्राम प्यासी में स्थिति भूमि सर्वे कमाक 216/1 रकवा 0.805 के सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 05/अ–12/17–18 दर्ज किया जाकर वगैर हितवद्ध

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3781/2018/अशोकनगर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
10–7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील मुगांवली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 05/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.06.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम प्यासी के सर्वे कमांक 216/1 रकवा 0.805 के सीमांकन हेतु दिनांक 7.6.18 को आवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी कर सीमांकन करने का निर्देश दिया गया। राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 अथाईखेड़ा द्वारा सीमांकन किया गया, पंचनामा बनाया गया जिसके आधार पर दिनांक 8.6.18 को नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न	

दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार तहसील मुंगावली की प्रथम आदेश पत्रिका देखने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 7.6.18 को अनावेदक रामसेवक पिता श्यामलाल सोनी द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया है और दिनांक 21.5.18 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें पंचनामा, रसीद, सीमांकन आवेदन संलग्न किया गया है। अनावेदक का सर्वे कमांक 216/1 रकवा 0.805 है0 का सीमांकन किया गया है जबकि आवेदक फुल्ला पुत्र श्री कंगलिया निवासी ग्राम प्यासी का सर्वे कमांक 216/2 रकवा 0.909 हैक्टेयर है, इससे यह तो सिद्व होता है कि फुल्ला सरहदद्ी कास्तकार है, और सरहदद्ी कास्तकार को सूचना नहीं दी गई है, जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में बने प्रावधानों के अन्तर्गत मेढ़िया कास्तकार को सूचना देना आवश्यक है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह भी सिद्व होता है कि सरहदद्ी कास्तकारों को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, क्यों कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अनावेदक रामसेवक द्वारा दिनांक 7.6.18 को आवेदन

प्रस्तुत किया है और सीमांकन पूर्व में दिनांक 21.5.18 को होना बताया गया है और दिनांक 8.6.18 को नायब तहसीलदार तहसील मुगांवली द्वारा सीमांकन का पुष्टिकरण किया गया है। ऐसा सीमांकन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील मुगांवली जिला अशोकनगर का प्रकरण कमांक 5/अ712/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 8.6.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सरहददी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्य वाही करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य